बोम्बे पोर्ट ट्रस्टी

बनाम

प्रिमियर ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड

अगस्त 26]1980

[पी०एन० शिंघल और डी० ए० देसाई जे० जे०]

बोम्बे ट्रस्ट अधिनियम की धारा 61 बी और 87 पैरा 2 का दायरा डाक से गोदाम तक पारगमन में क्षतिग्रस्त वादी की मशीनरी वादी ने दावा किया। उपनिहिती के रूप में बोर्ड से हर्जाना बोर्ड ने धारा 87 के पैरा 2 के तहत कर्मचारियों के अपकृत्यों के लिये प्रतिरक्षा का दावा किया बोर्ड की देयता गैर अनुबंधित उपनिधान की प्रकृति।

मुंबई पोर्ट ट्स्ट अधिनियम की धारा 4 ट्स्ट बोर्ड बनाये जाने का प्रावधान करती है। यह एक शाश्वत उत्तराधिकार के साथ निगमित निकाय है और यह दावा कर सकता है और उसके विरूद्ध दावा किया भी जा सकता है। इस अधिनियम की धारा 61ए [1] बोर्ड पर दायित्व अधिरोपित करती है धारा 61 बी प्रावधान करती है कि बोर्ड पर लगाए गये वस्तु के नुकसान] विनाश या क्षति के आरोपो की जिम्मेदारी इस प्रावधान के विषयान्तर्गत होगी जो धारा 151,152 और 162 संविदा अधिनियम 1872 के अधीन उपनिहिति होगी निरसित शब्दकिसी अन्य विशेष संविदा के अभाव में अन्तर्गत धारा 151 संविदा अधिनियम धारा 87 के पैरा 2 में प्रावधान है

कि बोर्ड इस अधिनियम के अधीन किसी भी नियुक्त कर्मचारी द्वारा किये गये अपकरण दुराचरण गैरव्यवहार के लिये जिम्मेदार नही ठहराया जावेगा।

बोम्बे पोर्ट पर मशीनरी आयात में उतारने के समय प्रत्यर्थी द्वारा बोर्ड पर आरोप लगाया गया जबकि बोर्ड कर्मचारियों के द्वारा मशीनरी को चार पहिये की टोली में ले जाने के दौरान डाक में शेड के गिरने पर मशीनरी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई।

मशीनरी के नुकसान के कारणो का सर्वे किये जाने के बाद प्रत्यर्थी ने नुकसान की भरपाई की बडी रकम की मांग करते हुये बोर्ड को नोटिस दिया। बोर्ड ने धारा 87 के प्रावधानो को देखते हुए मशीनरी में हुये नुकसान के कारणो के संबंध में समस्त दायित्वो से इंकार कर दिया।

अभ्यर्थी के विचारण के दौरान

दोनो पक्षो ने एक सहमति शर्त लगाई जिन पर विचारण न्यायालय व अपील न्यायालय का निर्णय आधारित है। अपीलीय न्यायालय उक्त सहमति शर्तो की बातों को संक्षिप्त में अभिकथित करते हुये कहा कि

1 ट्स्ट बोर्ड ने अपने कर्मचारियो के स्तर पर लापरवाही होना स्वीकार किया है।

2 वे कर्मचारी जो टोली पर वक्त दुर्घटना थे इस अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त थे।

3 बोर्ड ने यह दावा किया कि टोली वाले लोग उसके कर्मचारी थे, जबकि प्रत्यर्थी ने दावा किया कि वे ना केवल उसके कर्मचारी थे बल्कि उसके अभिकर्ता भी थे।

माननीय उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि बोर्ड उपनिहिती के नाते जिम्मेदार था। धारा 87 के पैरा 2 प्रावधान की लागु होने के सम्बंध में जिस पर अपीलार्थी आया है उच्च न्यायालय का यह दृष्टिकोण था कि धारा 61 बी लागू नही होता क्यों कि धारा 87 पैरा 2 इससे बिल्कुल भिन्न है इसलिये इस धारा के प्रावधान बोर्ड को कोई सुरक्षा प्रदान नही करते और इसलिए स्वामी हमेशा अपने नौकरो द्वारा किये अपकृत्यों के लिये दायित्वाधिन होगा] यदि वे नियुक्ति के दौरान किये गये हो। बोर्ड के कर्मचारीगण मशीनरी में हुये नुकसानों की भरपाई करने हेतु जिम्मेदार था।

बोर्ड द्वारा की गई अपील स्वीकार की गई।

अभिनिर्धारित किया:- (1) (ए) धारा 61 बी स्पष्ट करती है कि संविदा अधिनियम की तीन धाराओ के अन्तर्गत बोर्ड उपनिहिति होने के नाते दायित्वाधीन था। यह अभ्यर्थी का मामला नही था कि संविदा अधिनियम की धारा 148 के अन्तर्गत उपनिधान की कोई संविदा हो। चाहे पक्षकारों के बीच किसी प्रकार की संविदा नही भी हो तब भी धारा 151,152 या 161 आकर्षित नही होगी और ना ही संविदात्मक उपनिधान के मामले में धारा 61बी लागू होगी। इसके बावजूद कि संविदात्मक उपनिधान नही

था बोर्ड स्पष्ट रूप से वस्तुओ के नुकसान विनाश और विगाड के लिये उपनिहित के रूप में जिम्मेदार है जो धारा में निहित प्रावधान के अधीन है। [539-ए-डी]

(बी) उपनिधान का सार कब्जा होता है। उपनिधान तब भी पैदा हो सकता है जब वस्तु उपनिहिति के पास ही हो व वस्तु के मालिक ने उसका कब्जा नही लिया हो। इस प्रकार उपनिधान एक करार की परिसीमा का विषय तकनीकी और सारभूत रूप से नही है और जहां ऐसा किया जाने की जरूरत नही हो वहां उस क्षेत्र में इसे गोपनीयता की धारणा को बताये जाने की आवश्यकता भी नहीं है। यह बताती है कि उपनिधान पक्षकारो के बीच बिना संविदा के भी अस्तित्व में रहती है और उपचार भी पैदा रहता है जो कि संविदात्मक नही कहा गया हो। यही कारण है कि यह कहा गया है कि उपनिधान अपक्रत्यिक संबंधो का पूर्व उपनिधान यातना पूर्ण अपकृत्य है दोनो एक दूसरे में मौलिक रूप से समान है। इस प्रकार हस्तगत वर्तमान दावे धारा 61 बी में सांविधिक दायित्व के भंग पर आधारित नही था परंतु बोर्ड की उपनिहित होने के नाते जिम्मेदार होने पर आधारित था और कोई रास्ता अपकृत्य विधि के अलावा नही था। [539-एफ-एच]

(सी) ये हो सकता है कि धारा 61 बी बोर्ड पर कुछ निश्चित दायित्व अधिरोपित करे जो सच में संविदात्मक तो नही है क्योंकि कोई करार नही हुआ था परंतु इस धारा के संदर्भ में देखा जावे तो वे संविदा अधिनियम की

धारा 151,152 व 162 के अन्तर्गत दायित्वाधीन माने गये है। इस प्रकार के संबंध विवक्षित संविदा के अन्तर्गत पैदा होते है परंतु इसका अर्थ यह भी नही है कि बोर्ड को हमेशा ही नवीन वादकारण वस्तुओ का प्रभार लेने की कर्तव्य उत्पन्न होने पर दायित्वाधीन ठहराया जावेगा। सामान्यतः इस प्रकार की संबंधो में यह जरूरी है कि उपचार केवल क्षति करने के कृत्य से प्राप्त होता है न कि संविदाभंग करने के कृत्य पर।

(डी) बोर्ड पर तुरंत प्रभाव से वस्तुओ को उतारने के कार्यभार को लेने का कर्तव्य अधिरोपित करते हुये विधायिका ने यह भी सावधानी बरती है और दायित्वो की प्रकृति व विस्तार को परिभाषित करते हुए उपनिहिति के दायित्वो की शर्ते भी तय की है। यह स्पष्ट रूप से प्रावधानित है कि असंविदात्मक उपनिधान यातनात्मक अपकृत्य है।

हस्तगत मामले में अभ्यर्थी द्वारा अपकृत्य को धारा 61बी में सांविधिक कर्तव्य भंग का नही पाया गया बल्कि यह उपेक्षा दुराचरण व गैरव्यवहार का पाया गया था और यह कर्मचारियों के स्तर पर किया गया दुराचरण था। संक्षेप में यह दावा अपीलार्थी द्वारा लापरवाही से देखे जाने पर आधारित था जब केश फिसल गया और गिर गया जब वे उपनिहिति के रूप में उसे हटा रहे थे। [541 सी]

2 (ए) धारा 87 में शब्द कोई व्यक्ति] में बोर्ड भी सम्मलित है। इस धारा के पैरा 1 में अन्य व्यक्ति को भी परिसीमा का लाभ का प्रावधान

किया गया हैं। परंतु पैरा 1 होने के बावजूद पैरा 2 अन्य व्यक्ति के विस्तार तक सुरक्षा नही करती लेकिन बोर्ड को सीमाबध्द करती है। अन्य और अधिक गंभीर प्रतिबंध होने के बावजूद बोर्ड उन कर्मचारियो जो इस अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त नही हुये थे तो भी उनके दुराचरण, गैरव्यवहारिक के लिये जिम्मेदार है जिसका अर्थ यह है कि सुरक्षा का विस्तार किसी अपकृत्यात्मक कृत्य के लिये नही होता है यदि वह ऐसी कर्मचारी के द्वारा किया गया हो जो चाहे इस अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त नही किया गया हो। [542-ए-डी]

(बी) इस अधिनियम के अधीन आवश्यक प्रतीत होने व उचित रूप से पोषण पाने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये धारा 21 बोर्ड को कर्मचारी नियुक्त करने हेतु सशक्त करती है। परंतु वे सभी कर्मचारी जैसे कारीगर] बोझ ढोने वाले और मजदूर आदि जो इस धारा के परन्तुक इस धारा के अन्तर्गत नही समझे जायेंगे के अन्तर्गत संभवतः शामिल नही किये जा सकेंगे। बोर्ड को केवल इस अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त किये गये कर्मचारियों के अपकृत्यात्मक कार्या के अन्तर्गत वे वस्तुये जिनका चार्ज बोर्ड द्वारा लिया गया है उनके नुकसान विनाश और विगाड के संबंध में बार्ड का स्पष्ट रूप से दायित्व होता है लेकिन धारा 87 का पैरा 2 धारा 61बी की प्रतिध्वनि है और विलोमतः है। दोनो धाराये आपस में अन्तस बरंधित है और एक साथ पढी जावेगी। [542-ई-एच]

(सी) उच्च न्यायालय का यह मत है कि धारा 87 का पैरा 2 धारा 61बी से पूर्ण रूपर् से अलग प्रावधान है व संबंधित भी नही है तथा दोनो धाराओ में स्पष्ट प्रतिक्रियात्मक प्रावधान है और इन्हे साथ-साथ पढे जाने से यह पूर्ण रूप से व्यर्थ हो जाता है। धारा 61बी उन वस्तुओ जो बोर्ड के कब्जे मे है उनके संबंध में जिम्मेदारी बताती है और कोई इस अधिनियम के अलावा कोई धारा 87 को उपबंध को पढने की कोई अवसर या क्षेत्राधिकार नही है। यदि यह अधिनियम के बाहर था।

(डी) जव उच्च न्यायालय सहमति शर्तो की व्याख्या करते है तो कहते है कि यह स्वीकृत तथ्य है कि वे कर्मचारी जिनके हाथों में जिनका परिवहन करने दौरान वस्तुओ का नुकसान हुआ वे इस अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त थे यह बहुत ही छोटा व अनिवार्य कदम है कि बोर्ड धारा 87 के पैरा के अन्तर्गत इस अधिनियम में नियुक्त कर्मचारियों के लिये दायित्व वहन करने हेतु बाध्य था। [543 एच]

(ई) अपने नौकरो द्वारा किये गये कार्यो की जिम्मेदार उस दशा में पैदा नही हो सकती जहां कानून हस्तक्षेप करता है और स्पष्ट प्रावधान करता है कि किसी विशेष वर्ग के कर्मचारियों द्वज़रा किये गये गलत, दुराचरण या गैरव्यवहारिक कृत्यों के लिये स्वामी जिम्मेदार नही हो सकता है। उच्च न्यायालय के स्तर पर इस केस में इस दृष्टिकोण का लोप करने पर पैदा हुआ क्योंकि यह तर्को पर गलत प्रभाव डालती है कि यह बोर्ड के

सामान्य कर्मचारी के कृत्य से संबंधित है ना कि विशेष वर्ग के कर्मचारी से जो धारा 87 के पैरा 2 में निर्दिष्ट है। उच्च न्यायालय भी धारा 87 के पैरा 2 पर ध्यान देने से चूक गया जो केवल इस अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त कर्मचारियों के अधिकरण, दुराचरण, गैरव्यवहार कृत्यों से सारतः संबंधित था और इस पर प्रतिबंध सीमित था तथा सीमाबद्ध किया जाना सन्तोषजनक था। [544 डी-एफ] 545 डी]

3 इसके अतिरिक्त सांविधिक कर्तव्य कहे जाना स्पष्ट नही है और ना ही मान्यता प्रदान की गई कि यह अपकृत्य विधि की परिधि से बाहर ले जा गया और अनाम बाध्यता रखी गई कि इस केस को अपवादो के अन्तर्गत लेया जा सके जो धारा 87 के पैरा 2 में प्रवधनित है। धारा 61 बी और 87 इस प्रकार की विधि के भाग ही है। [546-बी-सी]

गुलाम हुसैन अहमदी को. लि. बनाम ट्स्टी ऑफ मुंबई पोर्ट] 64 बम्बई एल आर 670 अपास्त कर दिया। पोर्ट ट्स्टी बनाम प्रिमियर आटो मोबाईल्स सिंघल जे० 535 सिलि याचिका

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार:- सिविल अपीलीय संख्या 1282/1971

बोम्वे उच्च न्यायालय की अपील संख्या 40/65 के निर्णय व आदेश दिनांक-17-07-1978 से उत्पन्न ।

[ड़ा०वाई०एसत्र चिटले] जे०बी०दडाचंजी और के०जे०जॉन अपीलार्थी की ओर से

[अनील बी० दीवान] रामेश्वर नाथ और रविन्द्र नाथ प्रत्यर्थी की ओर से

"शिंघल जे० यह अपील दिनांक 17 जुलाई 1970 में बोम्वे उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के खिलाफ निर्देशित किया गया है, जिसमें विचारण न्यायालय के निर्णय दिनांकित 3 मार्च 1965 की डिक्री को पुष्ट करते हुए हर्जाने के रूपये 35000 व ब्याज देने के लिये अभ्यर्थी प्रत्यर्थी को आदेशित किया ऐसा होता रहता है कि यद्यपि शुरू में तथ्यों में काफी विरोधाभाष होता है] पक्षकारान के बीच कुछ स्पष्ट तथ्यों का विवाद महसूस होता है और निर्णय होने हेतु कोर्ट मे ही सहमत होते है, वे पहले व्याख्या करते है जैसे अन्तरिम सहमति शर्ते लेकिन वे बाद में वही तक रह जाते है। हम उन्हे कुछ तथ्यों के बताने के बाद रैफर करेंगे जिस पर विचारण न्यायालय और अपीलीय न्यायालय को विश्वास हो कर सके। यह तथ्य सहमति शर्त महत्व रखता है और अधिक सुगम होगा।

प्रीमियर आटोमोबाइल लिमिटेड अभ्यर्थी के रूप में निर्देशित किया गया है जो इटली से 13 मशीनरी के मामलो में आई है। हमारे सामने केश संख्या 249 आया है जो विरोधाभास की विषयवस्तु है। जिसमें 3 टन से अधिक बजन की इन्टरनल ग्राइन्डिंग मशीन ले जाई जा रही थी] यह एस०एस० जलसिल्टन हाल द्वारा फरवरी 21,1960 में बोम्बे में पहुंचा। बोर्ड शब्द को बोम्बे पोर्ट स्टेट अधिनियम 1879 की धारा 4 में बताया गया है।

संक्षेप में एक कोरपोरेट निकाय था जिसका शाश्वत उत्तराधिकार व सामान्य मुद्रा थी। इसे बोम्बे पोर्ट स्टेट के रूप में पुकारा गया और जिसके नाम पर दावा किया जा सकता था या खिलाफ दावा भी किया जा सकता है। इस प्राकर बोर्ड के संबंध में यह निर्देशित करते है कि यह अधिनियम में कैसे निर्देशित किया जावेगा और निर्णय में कैसे आक्षेप पढा जावेगा। तब तक बोर्ड अधिनियम के प्रावधानो के तहत दायित्वाधीन रहना अधिरोपित किया गया और विशेष रूप से धारा 61 ए [1] के अन्तर्गत तुरंत किसी भी वस्तु के उतारने हेतु जिम्मेदारी ले तथा 21 फरवरी 1960 को बोम्बे में केश संख्या 249 का भी दायित्व ले। बोर्ड ने एक प्रदर्श के- पेश किया कि केस क्षतिग्रस्त अवस्था में ही था जब 21 फरवरी 1960 को इसे उतारा गया था और इस बात पर भी ध्यानाकर्षण किया कि मैसर्स स्किन्डिया स्टीम नेवीगेशन को० लि० उसका हैडलिग एजेंट था। इस दस्तावेज को समसामयिक माना गया।

केस चार पहिया टरोली जो डाक में शेड लेकर जा रही थी, पर बनाया यगा और जब यह गिर गई और मशीन में रेख सामान बुरी तहर क्षतिग्रस्त हो गये। बोर्ड के बहुत सारे कर्मचारीगण उक्त केस वली के उस वक्त के भारसाधक थे।

यह अभिकथित किया गया कि अभ्यर्थी जिसमें 29 फरवरी 1960 को परिदान ले लिया था उसने क्षति का सर्वे करवाया। वे केस को फैक्ट्री में

ले गये और अन्य फर्म से उस मशीनरी का परीक्षण करवाया गया उस फर्म ने मशीनरी की अनुमानित कीमत 65000 आंकी और 55000 रूपये की क्षति बताई। अभ्यर्थी ने 65774-10 रूपये की क्षतिपूर्ति हेतु नोटिस दिया। बोर्ड ने उक्त दावे को जबाव देकर नकार दिया और यह आक्षेप लगाया कि मशीनरी उतारने से पूर्व ही क्षतिग्रस्त अवस्था में केस में रखी थी तथा क्षतिग्रस्त अवस्था में उतारने के दौरान यह फिसल गई और दुर्घटनावश वाली से गिर गई। उन्होने पूर्व में पेश रिपोर्ट ईएक्स के को दिखाते हुये और बोर्ड में यह अभिवचन किया कि वे जिम्मेदारी नही क्योंकि बोर्ड के धारा 87 व उपविधि में वे नही आते।

दावे के विपरीतार्थ कथन आने पर जो 19 अगस्त 1960 को संस्थित किया गया था। इम उक्त दलील को उचित कोन्स्टेड के विस्तार तक निर्देशित करते है जिन्होने हमारे समक्ष विरोधाभास उत्पन्न किया है। विवाधक विरचित किये गये और पक्षकारन का विचारण किया गया। उन्होने 'प्रतिफलार्थ, साक्ष्य पेश किये लेकिन विचारण के दौरान ही 7 अक्टूवर 1964 को उन्होने सहमति शर्ते, लेकर आये व विचारण को सीमित कर दिया। ये शर्ते विचारण न्यायालय व अपीली न्यायालय के निर्णय का आधार बनने वाली थी। ऐसा प्रतीत होता था कि सहमति शर्ते की ग्राहयता के संबंध में कुछ विरोधाभाषी तत्व थे और हम दोनो न्यायतयो द्वारा किये गये निर्वचनो को स्वीकार्यता करते हैं। अपीलेट न्यायालय ने अपनी व्याख्या को पैरा 2(बी) में संक्षिप्त रूप से और सहमति शर्ते निम्न बताई

इस पैरा की अन्तर्गत में बहुत कुछ समाहित है लेकिन इस पैरा में तीन बाते स्पष्ट है [1] विवाधक नंबर 01 का निर्धारण अब हम विवाधक नंबर 02 के संबंध में भी विचार करते है न्यायालय यह मानती है कि कुछ अपकरण और दुराचरण (परंतु की पर भी गैर व्यवहारिक का मामला नही था) केस नंबर 209 के मामले में कुछ स्तर पर व्यक्ति द्वारा हैंडलिंग करने में हुई है, जिसे पोर्ट स्टेट के कर्मचारी ही कहा जाता है। दूसरे शब्दो में पोर्ट स्टेट के कर्मचारीयों की लापरवाी के तत्वों को स्वीकार किया गया है। [2] यह भी स्वीकार किया गया है कि इस अधिनियम के अधीन ही इन कर्मचारियों को नियुक्त किया गया था। [3] प्रतिवादीगण ने आक्षेप लगाया है कि वे कर्मचारीगण तब थे जब वादीगण ने आरोप लगाया कि वे न केवल कर्मचारीगण थे बल्कि ट्स्ट के एजेंट भी थे और इस तरफ विवाधक निर्णित करना पड़ेगा।

उच्च न्यायालय ने पैरा 2 [सी] में उपनियम 82 की प्रवर्तन लागू होने के संबंध में व्याख्या की है जो बोर्ड को लाभ देने का था, लेकिन यह इस दृष्टिकोण का मामला नही है जो हम अन्य संदर्भ में देखते है। उच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर किया है कि वादी या डाक मैनेजर वे अभिस्वीकृति या वस्तुओ के नुकसान या जाति को उपनियम 98 के संदर्भ में डाक से माल हटाने से पहले चिन्हित नही किया। इस प्रकार उच्च न्यायालय ने ध्यान दिया कि दोनो पक्षकारन इस बात पर सहमत है कि यदि क्षतिपूर्ति कर दी जाती है तो राशि 35000/- रूपये दी जानी चाहिए।

साक्ष्यों के अवलोकन से इस बात पर सहमति बनी है कि सहमति की शर्तो जो संकेत देती है कि सिवाय, कोई अन्य साक्ष्य शेष विवाधक के निर्णय के लिये और दावे की भविष्य में की जाने वाली कार्यवाहियों के लिये अब तक को विचार में लिया जा सकता है। उच्च न्यायालय यह निरीक्षण करता है कि पक्षकारान विधि के बिन्दु पर विरोधाभाष को कम करने करते है और विद्वान एकल न्यायाधीन ने निर्णित किया कि ये विधि के बिन्दु निर्णय में निर्दिष्ट किये गये है।

अपील में उच्च न्यायालय ने यह दृष्टिकोण रखा कि अधिनियम की धारा 87 के पैरा 2 और धारा 61बी का प्रभाव और मुख्य व गौण बिन्दु के सव्य दायर था उक्त प्रावधानो के संदर्भ में अनेक निष्कर्ष निकाले गये कि धारा 61बी और धारा 87 के पैरा 2 के प्रावधान के अंतर्गत वादीगण ने विधिक कर्तव्य का भंग का दावा पाया है। यह भी कि धारा 87 के पैरा 2 के प्रावधान बिल्कुल भिन्न है जो धारा 61बी के प्रावधानो से संबंधित नही है और बोर्ड की जिम्मेदारी उपनिहित की भांति है और एक स्वामी और नियोक्ता हमेशा अपने सेवको द्वारा नियुक्त के दौरान किये गये सभी अपकृत्यो के दायित्वाधीन होता है और धारा 87 के पैरा 2 धारा 61बी के प्रावधानो से अलग नही है। निष्कर्ष की ओर पहुंचते हुए उच्च न्यायालय ने अपने डिविजन बैच के निर्णय गुलाम हुसैन अहमदादी कोरपोरेशन लिमिटेड बनाम मुंबई पोर्ट ट्स्टी पर बहुत ज्यादा जोर दिया।

(1) हम इस बात का परीक्षण करेंगे कि उच्च न्यायालय का निर्णय सही है और यह न्यायहित में था कि निर्णय पुष्ट किया जावे और विचारण न्यायालय की डिक्री हुई और अपील खारिज की जावे।

प्रथम विचारणीय बिन्दु यह है कि उच्च न्यायालय का यह दृष्टिकोण सही है कि अपकृत्य के सांविधिक दायित्व के भंग का क्लेम भी किया। उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष पर पहुंचते हुऐ इन सामान्य तथ्यों पर गौर किया कि पैरा 2(बी) की सहमति शर्तो के संबंध में विचारण न्यायालय को यह मानने की आवश्यकता थी कि कुछ अपकरण, दुराचरण या गैरव्यवहार केस नंबर 249 को हैंडल करने वाले व्यक्तियों द्वारा की गई थी। उच्च न्यायालय ने यह भी गौर किया कि दो अन्य तथ्य [1] तीन स्पष्ट बिन्दु थे जिनमें अपकृत्यों को वर्गीकृत किया जा सकता है, और जो अधिनियम की धारा 87 के पैरा 2 के प्रयोग से हो सकता है।

> "विधायिका पोर्ट ट्स्ट को उसके कर्मचारियों के अपकृत्यों से उन्मुक्ति प्रदान करती है।"

(2) जहां तक वादी के अपकृत्य के दावे का संबंध था इस बात पर कोई संदेह नही है कि धारा 87 के पैरा 2 के सीमा में रहते हुए इस बात पर कोई संदेह नही हो सकता क्योंकि दुराचरण] अपकरण या गैरव्यवहार का विशेष रूप से स्वीकार किया गया था। इस प्रकार हम यह परीक्षक करते है कि क्या वादीगण के दावे तथ्यात्मक सारभूत को देखते हुए धारा

61बी में लगाई गई सांवैधिक दायित्व के भंग के दावे में पाया गया और यदि ऐसा है तो दावे का क्या होगा।

दावे के संदर्भ में [पैरा 4] यह देखा जाता है कि वादी ने अभिवचन लिया कि केस नंबर 249 एस एस जलसील्टन हाल पहुंचा और बोर्ड ने इसका मेहताना भी लिया है जो बोम्बे पोर्ट ट्स्ट एक्ट 1879 के उपबंधो के अधीन है और डाक इस उपनियम के अधीन बनाया गया था।'' वादी ने (पैरा 5 मे) यह अभिवचन लिया कि इस केस का चार्ज लेने के पश्चात् प्रतिवादी ने उसकी खुली शेड में हटाने के लिये एक वाली में रखा और जब यह हटाई जा रही थी प्रतिवादी के द्वारा की गई लापरवाही पूर्ण तरीके से पकड़ने के कारण केस वाली से फिसल गया और फर्श पर गिर गया और उसकी मशीन बुरी तरह क्षतिग्रस्तहो गई जब इस बात का अभिनिर्धारण किये जाने के दौरान वादी ने वर्गीकृत रूप से चयन करते हुए कहा कि प्रतिवादीगण ने उक्त केस को अपनी जमातानुसार उपनिहिति की भांति ही हटाया या चलाया।

बोर्ड की जिम्मेदारी के संदर्भ में यह अभिवचन लिया गया कि बोंउ की प्रकृति जिम्मेदारी लेने की है जो धारा 61बी में प्रवधानित है। यह धारा स्पष्ट रूप से कह कहती है कि

> ''धारा 61बी वस्तुओ के नुकसान] विनाश या हांस के लिये बोर्ड का दायित्व यह होगा जो इस अधिनियम के अन्य

प्रावधानो के विषयान्तर्गत होगा और भारतीय रेलवे अधिनियम 1890 के प्रावधानो के अधीन रेलवे द्वारा वस्तुओ को ले जाने के लिये प्राप्त करने के मामले में भी लागू होगा कि ये भी भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 151] 152 व 161 के तहत एक उपनिहिती होगी जिसमें यह शब्द पूर्व के अधिनियम के धारा 152 मे किसी विशेष अनुबंध के अभाव में लोप किया गया।"

इस प्रकार यदि बोर्ड के प्रभार में रहते हुए किसी माल का कोई नुकसान, विनाश या हांस हुआ हो तो बोर्ड की जिम्मेदारी संविदा अधिनियम के तीन विनिर्दिष्ट धाराओ के अन्तर्गत उपनिहिती की भांति होगी, सिवाय अन्य प्रावधानो के जिसमे संविदा अधिनियम की धारा 152 के विपरीत विशेष संविदा द्वारा बाहर किये गये है और रेलवे एक्ट के प्रावधानो से संबंधित है। इस प्रकार धारा यह स्पष्ट करती है कि वर्तमान केस के उद्देश्य से बोर्ड की जिम्मेदारी उपनिहिति की थी। जो संविदा अधिनियम की तीनों धाराओ के अन्तर्गत होती है और इसमे ज्यादा नही।

यह विवेचना की गई है कि संविदात्मक उपनिधान की विषयवस्तु को संविदा अधिनियम के अध्याय 9 निपटाया गया है और धारा 148 में परिभाषित किया है कि उपनिधान का अर्थवस्तु का परिदान संविदा के अन्तर्गत किया जाना है किसी का ऐसा कोई मामला नही था कि इस

मामले में बोर्ड और वादीगण के बीच कोई अनुबंध धारा 151 उपनिहिती द्वारा देखरेख के संबंध में धारा 152 आवश्यक देखरेख की जिम्मेदारी के अभाव के संबंध में और धारा 161 [जहां माल को जिम्मेदारी से वापिस नही लौटाये जाने के संबंध में में इस प्रकार आकर्षित नही होता है। धारा 161 बी में भी ऐसा कोई प्रावधान नही है कि इस अधिनियम के अन्य प्रावधानो के अधीन इस संविदात्मक उपनिधान के मामले में बोर्ड की जिम्मेदारी लागू होती हो।

इस प्रकार भले ही पक्षकारो की दलीलो या धारा 161 ख के शब्दो के आधार पर संविदात्मक अनुबंध नही रहा हो] बोर्ड की उपनिहिति के रूप में जिम्मेदारी उपरोक्त प्रकृति की थी जो इस अधिनियम के अन्तर्गत है। दूसरे शब्दो में जहां तक बोर्ड की जिम्मेदारी वस्तु के प्रभार में लेने पर उसके नुकसान विनाश और हांस के संबंध में है यह स्पष्ट है कि एक उपनिहिती उक्त धारा के तहत आरक्षित होता है तो फिर उपनिधान की प्रकृति क्या होगी यह जोडा जा सकता है कि हमने दलीलों का अवलोकन किया और बोर्ड की सांविधिक जिम्मेदारी का भंग उक्त धारा 61 बी के अन्तर्गत वादीगण का दावा आधारित होता हो यह निष्कर्ष भी न ही निकाला जा सकता।

यह पूर्ण रूप से निर्धारित है कि उपनिधान का सार कब्जा होता हैं यह भी समान रूप से निर्धारित है कि उपनिशान इस मामले में पैदा हुआ

है तब भी जब माल के स्वामी ने उपनिहिती द्वारा अपने माल के कब्जे की सहमति नही दी हो, उपनिधान पालभर, 1979 सस्करण पेन संख्या 2। इस प्रकार उपनिधान यह भी हो सकता है जब एक घाटवाल माल को उतारने के लिये कब्जा ले [जेटी] [1970] 2 आॅल इ० आर० 826। इस प्रकार एक उपनिधान तकनीकी रूप से और सारभूत रूप से एक करार की परिसीमा में आता है। उपनिधान के लिये यह बिल्कुल भी आवश्यक नही है कि उसका परिचय बिना आवश्यकता के दिया जावे। जैसा कि हमने कहा कि कब्जे का उत्पन्न होना एक व्यक्ति ओर उसके प्रभार मे माल होने से संबंध बनता है। यह पर्याप्त है कि उस व्यक्ति को अपने प्रभार में वस्तु होने का ज्ञान हो। यह माना जावेगा कि उपनिधान बिना पक्षकारों के बीच अनुबंध के भी अस्तित्व में आ सकता है और इसके लिये उपचार भी सारभूत रूप से उत्पन्न होते है, वास्तव में या सारभूत रूप से इस संविदात्मक नही कहा जा सकता है। यही कारण है कि पाल्मर ने यह सुनिश्चित किया कि उपनिधान एक अपकृत्यात्मक संबंध है [पेज 36] और दोनो मूलरूप से समरूप है।

अतः यह इस प्रकार है कि वर्तमान मामले में दावा धारा 61बी के तहत केवल वैधानिक कर्तव्यों के उल्लंघन पर आधारित नही था] बल्कि बोर्ड का उपनिहिती की भांति दायित्व के आधार पर था। यह कोई अन्य अपकृत्यों में एक कार्रवाई के माध्यम से और कोई अन्य नही था।

यह हो सकता है कि जैसा कि वर्तमान मामले में बोर्ड पर कुछ निश्चित दायित्व लगाये गये थे जो धारा 61बी के तहत थे जो वास्तब में अनुबंध में जितना वे समझौते पर नही टिके थे परंतु उन्हे समान धाराओ के संदर्भ में उसी प्रकार माना गया तथा उन्हे तीन धाराओ धारा 151]152 व 162) संविदा अधिनियम के अधीन विषयवस्तु माना गया है। इस तरह का संबंध को एक निहित संबंध के उदभव के रूप में जाना जा सकता है। लेकिन यह उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण को उचित नही ठहराता है कि केवल एक नया वादकारण उत्पन्न हो गया क्योंकि धारा 61ए [1] के तहत बोर्ड पर भूमि माल का प्रभार डाला गया था और धारा 61बी में बोर्ड पर जिम्मेदारी को परिभाषित किया गया था। इस प्रकृति के संबंध में जो पक्षों के बीच अनिवार्य रूप से अनुबंध स्वीकार्य रूप उल्पन्न नही हुआ था, यह अनिवार्य रूप से एक प्रतिबंधात्मक था यह एक सिविल त्रुटि थी जिसके लिये क्षतिपूर्ति एक उपचार था और अनुबंध के उल्लंघन के लिये कार्यवाही के माध्यम से नही, ऐसा कोई मामला नही जिसमें पक्षकारो के बीच इस प्रकार का कोई संबंध हो। हो सकता है कि बोर्ड का दायित्व अर्द्धसंविदात्मक प्रकृति का हो, लेकिन वह भी इस दृष्टिकोण को उचित नही ठहरायेगा कि यह केवल उत्पन्न हुआ क्योंकि धारा 61ए और 61बी में लिखे गये शब्दो के कारण साल्मंड (न्यायशास्त्र में), 12वे संस्करण, पेज नंबर 452 जैसे कि संविदात्मक, अवैध, अर्द्धसंविदात्मक और अमनोनीत शब्दो की उत्पत्ति के स्त्रोतो से जो परिभाषित है। ये कानूनी दायित्व पूर्ण से भिन्न है। वास्तव में

हैल्सवरी ने इसे (तीसरे संस्करण, खण्ड 37, प्रष्ठ 111) में रखा जबकि दायित्व की प्रकृति और तत्वो से निपटने के लिये स्थिति इस प्रकार है

> ‘‘वे नागरिक अधिकार जो अंग्रेजी सामान्य कानून के अन्तर्गत उन लोगो से जिनसे अपरिनिर्धारित नुकसान की वसूली की जानी है जिन्हे व्यक्तियो को चोट या नुकसान उनके कृत्य से हुआ हो प्राप्त है उल्लंघन या कर्तव्य भंग के कथन और लोप से उल्लंघन का अधिकार कानून द्वारा अधिरोपित और प्रदत्त किया गया समझौते की बजाय अपकृत्य में कार्यवाही के अधिकार है [जोर दिया गया]”

स्ट्रीट आन टार्टर्स] छठे संस्करण पेज संख्या 05 में यह संदर्भ दिया जा सकता है कि एक वैधानिक कर्तव्य के भंग के लिये एक कार्यवाही अपकृत्य में एक कार्यवाही है। जैसा कि पृष्ठ में आगे बताया गया है। परिस्थितियों की कोई निश्चित सूची नही है जो अकेले और सभी समय के लिये सीमा को चिन्हित करती है कि अपकृत्य क्या है। सरलता से और आम तौर पर अपकृत्य विधि का नियम उन स्थितियों से संबंधित है जहां एक पक्ष का आचरण दूसरे पक्ष के हितो को नुकसान पहुंचाता है या धमकी देता है जैसा कि इस मामले में बोर्ड को धारा 61ए के तहत माल के उतरने के तुरंत बाद कार्यभार संभालने का कर्तव्य दिया गया था, विधान मंडल ने उस दायित्व की प्रकृति और सीमा को निर्धारित करने और परिभाषित

करने का ध्यान रखा, जिसे उपनिहिति के संदर्भ में निर्धारित किया गया था। पाल्मर ने उपनिधान बनाम अपकृत्य की प्रकृति को कुशलता से सामने लाकर सही निष्कर्ष पर पहुंचे है कि गैरसंविदात्मक उपनिधान मुख्य रूप ये एक यातनापूर्ण कार्यवाही है।

इस प्रकार यह प्रतीत होता है कि वादी की दलीलो में यह दावा नही था। उनका दावा केवल अधिनियम की धारा 61बी के तहत वैधानिक कर्तव्य के उल्लंघन पर आधारित था, अपकृत्य के अलावा। दूसरी ओर मुकदमे के समक्ष अपने नोटिस में वादी का मामला बोर्ड प्रशासन की ओर से कर्मचारियों द्वारा डाक पर लापरवाही] दुराचरण और गैरव्यवहारिक कृत्यो पर आधारित था। जैसा कि इंगित किया गया है] वाद में दावा प्रतिवादीगण द्वारा लापरवाही से निपटने पर आधारित था जब वे उपनिहिती के रूप में केस को हटाया जा रहा था और केस फिसल गया।

इसलिये जब अपकृत्य के रास्ते कार्यवाही की गई और धारा 61ख किसी कीमत पर पुरा अर्थ दे जो धारा प्रावधान करती है। और धारा 87 का पैरा का कोई प्रभाव था तो मुकदमे के दौरान विस्तार से बताया गया था।

हमने धारा 61बी निकाली है ऐसा प्रतीत होगा कि जब बोर्ड द्वारा माल के प्रभार को संभाला गया तो उसके नुकसान] विनाश [जैसा कि इस मामले मे है] और क्षरण के लिये इन अधिनियम के अन्य प्रावधानो के अधीन जिम्मेदारी होगी जो धारा 87 थे। इस धारा के पहले दो पैरा को

पढा जाना पर्याप्त होगा] हमारे सामने दिये गये तर्क पैरा 2 तक ही सीमित है। दो पैरा निम्नलिखित रूप मे पढे जावे

> "87 इस अधिनियम के अनुसरण मे किसी भी व्यक्ति को किसी भी काम के लिये या किया गया होने पर कोई इच्छित मुकदमा या अन्य कार्यवाही शुरू नही की जावेगी, ऐसे व्यक्ति को एक महिने की लिखित पूर्व सूचना के रूप में दिये बिना और कारण भी बताया जाना होगा। तथा 6 माह के बाद भी इस दवे के कारण नही बताये जाने पर बोर्ड इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी कर्मचारी द्वारा किये कदाचार, दुराचरण व गैरव्यवहार के लिये जिम्मेदार नही होगा।"

यह हमारे सामने विवादित नही है कि शब्द कोई भी व्यक्ति धारा 87 के प्रारंभ में एक मुकदमें के प्रांरभ को प्रतिबंधित करता है।अधिनियम की धारा 4 यह वास्तव में यह स्पष्ट प्रावधान करती है कि बोर्ड एक नियमित निकाय होगा और जिसके पास स्थायी उत्तराधिकार और एक सामान्य मुहर होगी और इस धारा में वह उसके लंबे नाम से मुकदमा दायर करे या वह मुकदमा करे।

शब्द व्यक्ति जिसमें कंपनी या संघ या व्यक्तियों का निकाय चाहे निगमित हो या नही, सामान्य क्लाज अधिनियम की परिभाषा में शामिल

है। इसलिये धारा 87 के अर्थ में बोर्ड एक व्यक्ति] था और वह अनुच्छेद में दिये गये परिसीमा के लाभ के लिये व नोटिस देने का हकदार था। लेकिन यह लाभ अन्य व्यक्तियों] के लिये भी उपलब्ध था। अब पैरा 2 पर आते है जो यह स्पष्ट रूप से प्रावधान करता है कि बोर्ड इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी भी कर्मचारियों के गड़बडी] दुराचरण, गैरव्यवहार के लिये जिम्मेदार नही होगा। अनुच्छेद 1 के विपरीत यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि अनुच्छेद 52 का संरक्षण किसी भी व्यक्ति को शामिल करने के लिये विस्तारित नही किया गया है और केवल बोर्ड तक ही सीमित है। इसके अतिरिक्त एक और गंभीर प्रतिवबंधत है कि अधिनियम के तहत नियुक्त कर्मचारियों की गडबडी, दुराचरण और गैरव्यवहार के लिये ही जिम्मेदार होगा उनके लिये नही जो इस अधिनियम के अन्दर नियुक्त नही हुये हो और वो कर्मचारी कोई गलती करते है।

बोर्ड के सभी कर्मचारियों को इस अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त नही किया जाता है। इस प्रकार धारा 21 का प्रतिसंदर्भ जो बोर्ड के अधिकारियो और कर्मचारियों से संबंधित है से यह पता चलता है कि इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये बोर्ड को अपने अधिकारियो व कर्मचारियों की अनुसूची की मंजदुरी और तैयार करने आवश्यकता है जिसे यह आवश्यक और उचित समझते है। यह भी प्रावधान में कहा गया है कि बोर्ड के सभी कर्मचारियो के अलावा मजदूर कुलियो या जो मासिक वेतन लेते है या अस्थाई कर्मचारी होते है वे इस धारा के उपबंधो के अन्तर्गत नही आते है।बोर्ड को

यह संरक्षण केवल इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी अपकृत्यात्मक कार्य जो नियुक्त कर्मचारियो ने किया है, प्राप्त है।जहां बोर्ड कम कर्मचारियो के विशाल बहुमत द्वारा जो वास्तविक कार्य का मुख्य कार्य करते हुए निर्यात माल की हैंडलिग लोडिंग परिवहन भंडारण आदि बोर्ड की ओर से विधिक शक्तियों के अधीन प्रयोग करते है जो बोर्ड ही उत्तरदायी होगा। इसलिये जहां तक बोर्ड की सुरक्षा का संबंध है बहुत ही सीमित है। ऐसा कोई कारण नही है कि इसे अस्वीकार किया जाना चाहिए कि यह अन्यथा एक प्रत्यक्ष और जोरदार प्रावधान द्वारा उपलब्ध है। धारा बिल्कुल स्पष्ट और वर्गीकृत है कि यदि इस अधिनियम के तहत नियुक्त कर्मचारी द्वारा गड़बडी दुराचरण गैरव्यवहार किया जावे तो बोर्ड इस बात के लिये जिम्मेदार नही होगा। इस प्रकार बोर्ड द्वारा प्रभार में लिये गये माल के नुकसान विनाश या गिरावट के संबंध में तथ्य व परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये प्रत्येक त्रुटिपूर्ण कार्य के धारा 61बी के अधीन स्पष्ट रूप से बोर्ड ही दायित्वाधीन है। परंतु धारा 61 [पैरा 2] धारा 61 बी के विपरीत है व बिल्कुल भी संबंधित नही है लेकिन अन्तर्सम्बंधित होने से पूरे को एक साथ पढा जाना चाहिए।

इस प्रकार उच्च न्यायालय इस हद तक कहा कि धारा 87 पैरा 2 के प्रावधान एक पूरी तरह से अलग विषय पर है जिसके साथ 61 बी बिल्कुल भी संबंधित नही है और इसलिये उसने यह विचार रखा कि उन्हे संभवतः धारा 61बी को नियन्त्रित करने के लिये आयोजित नही किया जा सकता है। उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि उसकी राय में एक और

एक ही अधिनियम दो देनदारियों को जन्म दे सकता है एक वैधानिक कर्तव्यों के उल्लंघन के लिये और दूसरा सिविल त्रुटि या अपकृत्य के लिये प्रावधान करता है। जबकि धारा 61बी पूर्व के लिये प्रावधान करता है] धारा 87 पैरा 2 पश्चात् के लिये प्रावधान करता है और प्रावधान एक दूसरे को ओवरलैप नही करते है। इस दृष्टिकोण के लिये कोई उचित कारण नही दिया गया और यदि हम यह सम्मानपूर्वक कह सकते है कि यह दोनो धाराओ के स्पष्ट प्रावधानो के विपरीत है] यदि उन्हे एक साथ पढा जाये और पूरी तरह से अस्थिर है। यह धारा 61 बी है जो उन वस्तुओ के लिये बोर्ड की जिम्मेदारी से संबंधित है और निर्धारित करता है जिनके लिये उसने धारा 61ए के तहत वैधानिक शुल्क के तहत कब्जा कर लिया है] यह वह धारा है जिसके नाम धारा 61 बी है जो उस जिम्मेदारी को उस अधिनियम के अन्य प्रावधानो के अधीन बनाती है। अधिनियम के अन्य प्रावधानो के अधीनता के संबंध में खंड को पढने का कोई अवसर या औचित्य नही है ताकि धारा 87 को इस तरह से बाहर रखा जा सके जैसे कि यह अधिनियम के बाहर हो।

इसलिये यदि यह दिखाया जा सकता है कि मुकदमे में और सहमति की शर्तो मे उपयोग किये गये कदाचार] दुराचरण या गैर व्यवहार के कार्य अधिनियम के तहत नियुक्त कर्मचारी द्वारा किये गये थे तो ऐसा कोई कारण नही है कि बोर्ड को धारा 87 के पैरा 2 को लागू नही करना चाहिए और सफलपूर्वक दावा करना चाहिये कि वह उनके लिये जिम्मेदार नही था।

पैरा 2 का संदर्भ स्पष्ट रूप से सहमति शर्तो को दर्शाता है कि धारा 87 के प्रावधानो के कारण ही विवाधक 1 व 2 बोर्ड के दायित्व से संबंधित है जहां इस धारणा पर निर्णय लिया जाना था कि विचाराधीन मामले को संभाने वाले व्यक्तियों में कुछ गडबडी] कदाचार या गैरव्यवहार नही थी और जो प्रतिवादियों के अनुसार उनके अधिनियम के तहत नियुक्त कर्मचारी थे जबकि वादी के अनुसार कौन कर्मचारी थे और प्रतिवादियो के एजेंट । जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया है कि सहमति की शर्तो के इस भाग की सामग्री की व्याख्या उच्च न्यायालय द्वारा इस अर्थ में की गई है कि जहां बोर्ड द्वारा यह स्वीकार किया गया कि इन कर्मचारियो को उक्त अधिनियम के तहत नियुक्त किया गया था। जब उच्च न्यायालय स्पष्ट रूप से उस निष्कर्ष पर पहुंचा तो यह उसके लिये एक छोटा और अपरिधर्य कदम था] इसके अलावा कि बोर्ड इसलिए धारा 87 के पैरा 2 के आधार पर इन कर्मचारियो के कार्यो के लिये अपने दायित्व से मुक्त होने का हकदार था इसलिए यहां फिर से उच्च न्यायालय एक त्रुटि में पड़ गया जिसके लिये उसके फैसले को कायम नही रखा जा सकता है।

उच्च न्यायालय ने धारा 87 के पैरा 2 की व्याख्या करने का प्रयास किया है जो उस कानून के संदर्भ में जो 1879 के एक अधिनियम द्वारा धारा 87 के अधिनियम से पहले लागू था] तब तक साधारण कानून लागू था और उस संबंध में बारबारिक बनाम अंग्रेजी ज्वाईट स्टेट बैंक का संदर्भ दिया गया था। यह सामान्य नियम है कि स्वामी अपने नौकर या

अभिकर्ता की ऐसी गलती जो उन्होने लाभ के लिये किया हो जो प्रत्यक्ष रूप से निर्देशित या गोपनीयता साबित की जाये, जिम्मेदार होता है।

उच्च न्यायालय द्वारा न्यायशास्त्र में साल्मंड का भी संदर्भ दिया है कि कुछ मामलो में स्वामी को वास्तविक लाभ दिखाने की आवश्यकता नही लेकिन जिसकी उच्च न्यायालय ने ठीक से सराहना नही की कि संभवतः एक ऐसे मामले में उत्पन्न होता है जहां कानून स्पष्ट शब्दो में हस्तक्षेप करता है कि स्वामी किसी विशेष व्यक्ति जो एक विशेष वर्ग में आता है] के द्वारा किये गये कदाचार दुराचरण या गैरव्यवहारिक कार्य के लिये जिम्मेदार नही होगा। उच्च न्यायालय की बारविक के उपर के मामले के संदर्भ में सही कानूनी स्थिति और उस पर निर्भर पाठ्यपुस्तक जो उस आधारित थी को सराहना करने में चूक की गई, क्योंकि यह धारणा थी कि बोर्ड के सामान्य कर्मचारी के कार्य से संबंधित था ना कि अधिनियम की धारा 87 के पैरा 2 में निर्दिष्ट विशेष श्रेणी के कर्मचारी के गलत कार्यो से जो अधिनियम के तहत नियुक्त कर्मचारी है यह गलती पूरे निर्णय में चलती है और दर्जनो स्थानो पर होती है जहां उच्च न्यायालय ने एक साधारण कर्मचारी के कार्यो और स्वामी के प्रतिनिधिदायित्व के अपकृत्यात्मक दायित्व के प्रश्न में जांच की।

तब उच्च न्यायालय ने गुलाम हुसैन केस [उपर] के फैंसले में अपने फैंसले की जांच की और जब निर्णय के उस हिस्से से असहमत होते हुए

खंडपीठ ने कहा कि धारा 87 के पैरा 2 का विस्तार व प्रभाव बोर्ड को किसी कर्मचारीगणो के नियुक्ति के दौरान किये गये अपकृत्यो के लिये प्रतिनिधात्मक जिम्मेदारी से संरक्षित करने की।'' उच्च न्यायायल ने निर्णय में इस दृष्टिकोण को चुना कि बोर्ड धारा 61(ख) के तहत उन वस्तुओ के नुकसान, विनाश या क्षरण के लिये जिसके लिये उसने कार्यभार संभाला था, वह जिम्मेदारी अधिनियम के अन्य प्रावधानो के अधीन थी और किसी भी कदाचार के लिये बोर्ड की जिम्मेदारी नही है। लेकिन हम यह कहने को विवश है कि गुलाम हुसैन के मामले (1) में भी उच्च न्यायालय ने कवल बोर्ड के कर्मचारियो और उनके द्वारा अपनी नौकरी के दौरान किये गये कार्याे को संदर्भित किया, लेकिन यह ध्यान देने में विफल रहा कि भले ही बोर्ड पर वस्तुओ के नुकसान, विनाश या क्षरण के लिये धारा 61 बी के अधीन एक कर्तव्य डाला गया था लेकिन यह जिम्मेदारी अधिनियम के अन्य प्रावधानो के अधीन'', जो हमारे द्वारा धारा 87 पैरा 2 के प्रावधानो मे कुठ हद तक संदर्भ दिया गया है जो बोर्ड को किसी भी कदाचार के लिये जिम्मेदारी से मुक्त करता है। इसलिये गुलाम हुसैन के मामले (उपर) का निर्णय सही ढंग से नही किया गया था और उच्च न्यायालय ने विवादित फैसले में यह विचार रखा कि गुलाम हुसैन के मामले में इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया कि वह उस पर बाध्यकारी था तथा यह स्वाभाविक रूप से एक निर्णय पर पहंचा जिसके साथ हम सहमत नही हो पा रहे है। उच्च न्यायालय इस बात पर ध्यान देने में विफल रहा है कि धारा 87 के पैरा 2

अनिवार्य रूप से केवल उन कर्मचारियो के नुकसान, कदाचार और गैरव्यवहार्यता के कृत्यों से संबंधित है जिन्हे अधिनियम के तहत नियुक्त किया गया था और ऐसे कर्मचारी बहुत कम थे, इसलिये बोर्ड के दायित्व पर प्रतिबंध सीमित था और काफी हद तक सीमित था। उच्च न्यायालय ने आगे बढकर बोर्ड के एजेंटो पर सवाल और अवधारणा भले ही यह धारा 87 पैरा 2 के लिये काफी विदेशी थी और यह स्थापित करने के लिए किसी भी सबूत पर भरोसा नही किया गया था कि यह बोर्ड के एजेंट थे जो खेम में हुये नुकसान के लिये जिम्मेदार थे। वास्तव में गुलाम हुसैन के मामले में उच्च न्यायालय ने अनुमान लगाया कि यदि बोर्ड माल के नुकसान, विनाश या बिगडने के लिये जिम्मेदार था तो कार्यवाही का कारण बोर्ड की स्वयं या अपने एजेटो के माध्यम से आवश्यक स्तर की देखभाल करने में विफलता होनी चाहिए, न कि केवल एक कर्मचारी किया गया अपकृत्य जिसके लिए बोर्ड को अप्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। सम्मान रखते हुए हम इस तरह के दृष्टिकोण के लिये कोई औचित्य नही ढूंढ पा रहे है। इसलिये गुलाम हुसैन के मामले का निर्णय अधिनियम की धारा 87 के पैरा 2 तथा धारा 61बी के प्रावधानो के उचित मूल्यांकन पर नही किया गया था। निर्णय लेने वाले न्यायाधीशों मे से एक न्यायाधीश जिन्होने वर्तमान मामले की सुनवाई की और उसे स्वाभाविक रूप से गुलाम हुसैन के मामले में अपने पहले के फैसले का पालन किया, जैसा कि डिवीजन बैंच जिसमे उसी मामले में वर्तमान निर्णय (हमारे सामने जो अपील आई है) दिया था,

ने कहा कि गुलाम हुसैन के मामले में पहुंचा गया निष्कर्ष बाध्यकारी था, यह उस त्रुटि में गिर गया जो गुलाम हुसैन के मामले में प्रारंभिक निर्णय में आई थी। गुलाम हुसैन का मामला इसलिये विवादित फैसले को बरकरार रखने के लिये कोई अधिकार या आधार नही है।

इसकी सराहना की जानी चाहिये और इसे हमेशा याद रखा जाना चाहिए। वह धारा 61ख जो नुकसान] विनाश व क्षरण के लिये बोर्ड पर जिम्मेदारी अधिरोपित करता है। जिन वस्तुओ का प्रभार बोर्ड द्वारा संभाला गया है और यह कहना कि वह जिम्मेदारी संविदा अधिनियम की तीन धाराओ के तहत एक उपनिहिती की होगी, आगे यह भी कहा गया है कि यह जिम्मेदारी अधिनियम के अन्य प्रावधानो के अधीन होगी। इस प्रकार तथा कथित वैधानिक कर्तव्य स्पष्ट नही है और भले ही यह माना गया हो कि उसने मामले की अपकृत्य विधि की परिधि से बाहर ले लिया है और इसे साल्मंड ने अमनोनित दायित्व के रूप में वर्गीकृत किया है जो मामले को धारा 87 के पैरा 2 में प्रदान किये गये अपवाद से बाहर नही लेगा। धारा 61ख और धारा 87 दोनो एक ही कानून के भाग है और इन्हे एक साथ ही पढा जाना चाहिए विशेष रूप से तब जब यह धारा 61बी का स्पष्ट निर्देश हो। उस धारा के आधार पर अनुबंध अधिनियम की धारा 151 152 और 161 के तहत बोर्ड का दायित्व उपनिहिती से ज्यादा नही है। जैसा कि हमने बताया है कि उपनिधान एक ऐसी कब्जे से संबंधित अवधारणा है और जब इस मामले में इसका खंडन किया जाता है तो यह वास्तव में

अपकृत्यात्मक दायित्व है और अधिनियम की धारा 61बी के तहत तथाकथित दायित्व का अर्थ इनसे अधिक या कम नही है।

उच्च न्यायालय ने कहा कि कोई भी अन्य दृष्टिकोण वस्तुतः होगा जो धारा 61ख के प्रावधानो को काफी हद तक निरर्थक बनायेगा लेकिन अगला वाक्य उस दृष्टिकोण का कारण बताता है क्योंकि उच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया है कि ऐसा तब होगा जब धारा 87 का पैरा का अर्थ अन्यथा किया जाता है अर्थात बोर्ड को अपने कर्मचारी की किसी भी और प्रत्येक के लिये की गई कदाचार] दुरव्यवहार या गैरव्यवहार के लिये पूर्ण उन्मुक्ति दी जाती है हालांकि ऐसा कोई खंड धारा 61बी और धारा 87 के पैरा 2 में नही है जैसा कि हमने पहले बताया है बोर्ड के बहुत कम कर्मचारियो को अधिनियम के तहत नियुक्त किया जाता है और पैराग्राफ में केवल इतना ही प्रावधान है कि बोर्ड केवल उन्ही कर्मचारियों की ओर से किसी भी नुकसान] कदाचार व गैरव्यवहार्यता के लिये जिम्मेदार नही होगा। उन्हे यह जानना चाहिए कि वे जो कुछ करते है उसके लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार रहे परंतु ऐसा यह कहना कानून का एक सही प्रस्ताव नही है यह कहने के लिए दृष्टिकोण जिसने पाया है कि हमारा पक्ष लेने से धारा 61बी के प्रावधान वस्तुतः काफी हद तक निरर्थक हो जावेंगे।

हमने जो दृष्टिकोण उच्च न्यायालय के इस उपकानूनो की वैधता संदर्भ में अपनाया है उसकी जांच करना आवश्यक नही है।सुनवाई के पश्चात्

तर्क पेश किये गये और जो धारा 61बी व 87 पैरा 2 के सही अर्थ व अवसंरचना पर आधारित कर उन्होने हमारे सामने पेश किया है और इस बात पर सहमत है कि इस प्रकार यह नही माना जाना चाहिए कि हमने विचाराधीन उपनियमों की वैधता के वारे में कोई राय व्यक्त की है। यह कहना पर्याप्त होगा कि यह फैंसला या नीचे का फैंसला वर्तमान मामले या विवाद जैसे उद्देश्यों के लिये उनकी वैधता या अयोग्यता के लिये निष्कर्ष नही होगा।

परिणामस्वरूप अपील सफल हो जाती है और इसकी अनुमति दी जाती है। उच्च न्यायालय का निर्णय और डिक्री अपास्त किया जाता है तथा दावा खारिज किया जाता है। मामले की परिस्थितियों में पक्षकार पूरे मामले में अपनी लागत का भुगतान करेंगे और वहन करेंगे।

अपील की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल टूल सुवास की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी सुमन सिंघल (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानिय भाषा में अनुवादित किया गया है ओर किसी अन्य उददेश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक ओर अधिकारिक उददेश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा ओर निष्पादन व कार्यान्वयन के उददेश्य से अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

***